

11.09.17

Not press

Joint

11/9/17

(रमाकांश शर्मा)
एडव

पत्रावली बेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्राची
ने प्रा. पत्र को नोट डेल किया। अतः प्राचीन पत्र
प्राचीन नोट डेल में खारिज किया गया है। पत्रावली
फैसल सुधार होकर नंवा से कर बोदा साबिल
दफ्तार हो।



जिला कलेक्टर
करोली